जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना शिवालाकलां **दिनांक – 27.02.2024**

थाना शिवालाकलां पुलिस ने लूट की झूठी सूचना देने वाला अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 26.02.2024 को अवधेश यादव पुत्र देवेन्द्र सिंह निवासी ग्राम सैण्डोला थाना फैजगंज वैहटा जनपद बदायूँ ने थाना शिवालाकलां पर सूचना दी कि मै शेयर इण्डिया फिन कैप प्रा0 लि0 शाखा चाँदपुर जनपद बिजनौर पर कलेक्शन कर्मी के रुप में कार्यरत है। दिनांक 26.02.2024 को मै कम्पनी के 27,050 /- रुपये लेकर आ रहा था कि फीना रोड पर दो अपाचे मोटरसाइकिल सवार चार युवकों ने उससे पैसों का बैग लूट लिया। सूचना पर थाना शिवाला कलां पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर चौकी बैलवाला व पी0एन0बी0 बैंक फीना में स्थापित सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक की गयी तो लूट की घटना संदिग्ध प्रतीत हुई तथा प्रथम दृष्टतया घटना का होना नही पाया गया।

कार्यवाही –

पुलिस द्वारा अवधेश से सख्ती से पूछताछ की गयी तो अवधेश ने बताया कि मै ऑनलाइन गेम खेलता हूँ तथा इसमें काफी पैसा हार चुका हुँ। इसलिये मैने कम्पनी के पैसों को हडपने की योजना बनायी तथा कम्पनी के पैसों को एक जनसेवा केन्द्र पर अपने बैंक खाते में डलवा लिया तथा अपने ब्रांच मैनेजर व पुलिस को लूट की झूठी सूचना दे दी।

घटना के सम्बन्ध में शेयर इण्डिया फिन कैप प्रा0 लि0 शाखा चांदपुर के ब्रांच मैनेजर श्री चेतन तोमर पुत्र बलराम सिंह निवासी ग्राम भदस्याना थाना बहादुरगढ जनपद हापुड द्वारा अभियुक्त अवधेश यादव के विरुद्ध कम्पनी के पैसों का गबन करने के उद्देश्य से लूट की झूठी सूचना देने के सम्बन्ध में थाना शिवालाकलां पर मु0अ0सं0 23/24 धारा 182/408 भादवि पंजीकृत किया गया। अभियुक्त अवधेश यादव पुत्र देवेन्द्र सिंह निवासी ग्राम सैण्डोला थाना फैजगंज वैहटा जनपद बदायूँ को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

अवधेश यादव पुत्र देवेन्द्र सिंह निवासी ग्राम सैण्डोला थाना फैजगंज वैहटा जनपद बदायूँ

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.थानाध्यक्ष श्री तेजपाल सिंह थाना शिवालाकलां जनपद बिजनौर

2.उ0नि0 श्री संजय थाना शिवालाकलां जनपद बिजनौर

3.कां0 विष्णु थाना शिवालाकलां जनपद बिजनौर

4.कां0 हरित थाना शिवालाकलां जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – जनपद बिजनौर दिनांक – 27.02.2024

“ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बिजनौर पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय द्वारा अपहरण कर हत्या कारित करने वाले 03 अभियुक्तों को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 1,10,000/- रूपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित।

कार्यवाहीः–

दिनांक 14.07.2016 को वादी द्वारा थाना कोतवाली शहर पर तहरीर दी गयी कि वादी का पुत्र (तत्कालीन उम्र 13 वर्ष) स्कूल गया था, जोकि वापस नही आया। तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 783/16 धारा 363 भादवि पंजीकृत किया गया। दिनांक 18.07.2016 को उपरोक्त अभियोग धारा 364ए भादवि में तरमीम किया गया। दिनांक 27.08.2016 को अपहृत बच्चे का शव कंकाल रुप में थाना कोतवाली देहात क्षेत्रान्तर्गत जंगल ग्राम बांकपुर से बरामद हुआ। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में अभियुक्तगण 1.राजकुमार पुत्र विरेश कुमार 2.राहुल पुत्र सुरेश पाल 3.लोकेश पुत्र नरेश कुमार निवासीगण ग्राम मोहडिया थाना मण्डावर जनपद बिजनौर का नाम प्रकाश में आया तथा अभियोग में धारा 302/201/120बी भादवि की वृद्धि की गयी। स्थानीय पुलिस द्वारा संम्पूर्ण विधिक कार्यवाही के उपरोक्त आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत मा0 न्यायालय में सशक्त एवं प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को अधिकाधिक सजा दिलाये जाने हेतु चिन्हित किया गया था। पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर द्वारा उक्त अभियोग की मा0 न्यायालय में प्रगति की लगातार समीक्षा की जा रही थी।

इस अभियोग में बिजनौर पुलिस एवं मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 27.02.2024 को मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, (पॉक्सो अधिनियम), जनपद बिजनौर द्वारा मु0अ0सं0 783/2016 धारा 364ए/302/201/34 भादवि के आरोपी अभियुक्तगण 1.राजकुमार, 2.राहुल एवं 3.लोकेश निवासीगण ग्राम मोहडिया थाना मण्डावर जनपद बिजनौर को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 1,10,000/- (एक लाख दस हजार रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड की कुल धनराशि तीन लाख तीस हजार रुपये में से तीन लाख रुपये मृतक के पिता को प्रतिकर के रुप में प्रदान किये जायेंगे।

दोषसिद्ध अभियुक्तगण का नाम पता –

1.राजकुमार पुत्र विरेश कुमार निवासी ग्राम मोहडिया थाना मण्डावर जनपद बिजनौर
2.राहुल पुत्र सुरेश पाल निवासी ग्राम मोहडिया थाना मण्डावर जनपद बिजनौर
3.लोकेश पुत्र नरेश कुमार निवासी ग्राम मोहडिया थाना मण्डावर जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना स्योहारा **दिनांक – 27.02.2024**

थाना स्योहारा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 08/24 धारा 323/307/336/504/506 भादवि व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 04.01.2024 को वादी श्री तुषार पुत्र जयवीर सिंह निवासी ग्राम सब्दलपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर द्वारा थाना स्योहारा पर तहरीर दी गयी कि अभियुक्तगण 1.बुधन सिंह पुत्र यशपाल सिंह 2.सिंटू कुमार उर्फ इन्द्रेश कुमार पुत्र स्व0 जितेन्द्र शर्मा निवासीगण ग्राम सब्दलपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर द्वारा वादी के साथ जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली – गलौच व मारपीट की गयी तथा चाकू से जानलेवा हमला किया गया। तहरीर के आधार पर थाना स्योहारा पर मु0अ0सं0 08/2024 धारा 323/307/336/504/506 भादवि व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट बनाम बुधन सिंह आदि उपरोक्त कुल 02 नफर पंजीकृत किया गया। स्थानीय पुलिस द्वारा अभियुक्त सिंटु उर्फ इन्द्रेश कुमार को पूर्व में ही गिरफ्तार किया जा चुका है।

कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 27.02.2024 को थाना स्योहारा पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त बुधन सिंह पुत्र यशपाल सिंह निवासी ग्राम सब्दलपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

बुधन सिंह पुत्र यशपाल सिंह निवासी ग्राम सब्दलपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 श्री वीरेन्द्र सिंह यादव थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

2.कां0 2522 जितेन्द्र थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

3.कां0 2053 हेमन्त थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना नांगल दिनांक 27.02.2024

थाना नांगल पुलिस ने हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त को अवैध चाकू सहित किया गिरफ्तार।

कार्यवाही :-

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अवैध शस्त्रों के निर्माण/बिक्री/परिवहन में संलिप्त अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 27.02.2024 थाना नांगल पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान अभियुक्त गुलजार पुत्र लड्डन निवासी ग्राम सबलपुर बीतरा थाना नांगल जनपद बिजनौर को 01 अवैध चाकू सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना नांगल पर मु0अ0सं0 48/2024 धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता :–

गुलजार पुत्र लड्डन निवासी ग्राम सबलपुर बीतरा थाना नांगल जनपद बिजनौर। (एचएस नं0- 16/A)

बरामदगी विवरणः-

01 अवैध चाकू।

अपराधिक इतिहास गुलजार अभियुक्तः-

1. मु0अ0सं0 32/21 धारा 3/5क/8 गोवध अधि0 थाना नांगल जनपद बिजनौर
2. मु0अ0सं0 49/21 धारा 2/3 गैंगस्टर अधि0 थाना नांगल जनपद बिजनौर
3. मु0अ0सं0 48/24 धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम थाना नांगल जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1. आरक्षी 1452 समसपाल थाना नांगल जनपद बिजनौर
2. आरक्षी 1312 मोहित थाना नांगल जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना कोतवाली शहर दिनांक – 27.02.2024

थाना कोतवाली शहर पुलिस ने चोरी की दो घटनाओं का अनावरण करते हुए अभियुक्त को पीली/सफेद धातु के आभूषण (कीमत करीब 05 लाख रुपये) व नगदी सहित किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 23.12.2023 को वादी श्री मौ0 फैजी पुत्र स्व0 इस्तेखार अहमद निवासी ईमली वाली मस्जिद काजीपाड़ा थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर ने थाना कोतवाली नगर पर तहरीर दी कि वादी की पप्पू डेरी एण्ड कन्फैक्शनरी की दुकान से अज्ञात अभियुक्त द्वारा दुकान से गल्ला तोड़कर नगदी चोरी कर ली है। तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0सं0 1277/2023 धारा 379 भादवि पजीकृत किया गया।

दिनांक 19.02.2024 को वादी श्री नवल किशोर निवासी 211 आर्य नगर थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर द्वारा थाना कोतवाली शहर पर तहरीर दी कि अभियुक्त शंकर पुत्र प्रेमचन्द्र शर्मा निवासी रम्भू का चौराहा थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर (शक के आधार पर) द्वारा काकरान वाटिका नजीबाबाद रोड पर शादी समारोह से एक कमरे में रखे सूटकेश से एक लाख रूपये व सोने चांदी के आभूषण चोरी कर लिये है। तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0सं0 159/2024 धारा 380 भादवि पंजीकृत किया गया। सीसीटीवी फुटेज व शादी में बनी वीडियो के आधार पर अभियुक्त मल्लू उर्फ अवधेश पुत्र राकेश निवासी अलीनगर पालनी थाना नूरपुर जनपद बिजनौर का नाम प्रकाश में आया तथा शंकर पुत्र प्रेमचन्द्र शर्मा निवासी रम्मू का चौराहा थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर की नामजदगी गलत पायी गयी।

कार्यवाही –

पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम व चोरी की घटनाओं का अनावरण एवं चोरी में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 27.02.2024 को थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर उपरोक्त दोनों घटनाओं में प्रकाश में आये अभियुक्त मल्लू उर्फ अवधेश पुत्र राकेश निवासी अलीनगर पालनी थाना नूरपुर जनपद बिजनौर को चोरी किये गये पीली एवं सफेद धातु के आभूषण (कीमत करीब 05 लाख रुपये) व नगदी सहित गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के आधार अभियोगों में धारा 411 भादवि की वृद्धि की गयी।

पूछताछ का विवरण –

पूछताछ पर अभियुक्त ने अपने जुर्म का इकबाल करते हुए बताया की राम के चौराहे के पास में दुकान से मैने तीन हजार रूपये चोरी किये थे तथा दिनांक 19.02.2024 को काकरान वाटिका से रात्रि में शादी समारोह से कमरे में रखे सूटकेश से नगदी व सोने – चांदी के आभूषण चोरी कर लिये थे। आज मै उक्त ज्वैलरी को बेचने की फिराक में था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

मल्लू उर्फ अवधेश पुत्र राकेश निवासी अलीनगर पालनी थाना नूरपुर जनपद बिजनौर

बरामदगी –

04 चूडी पीली धातु

01 अंगूठी पीली धातु

01 कान की बाली पीली धातु

02 पायल सफेद धातु

04 विछुवा सफेद धातु

01 सफेद मोती की माला जिस पर पीली धातु का लॉकेट लगा हुआ है।

2600 /- रुपये

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 श्री कृष्णपाल सिंह थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

2.उ0नि0 श्री मीर हसन थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

3.हे0कां0 747 कपिल तोमर थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

4.कां0 2041 राजीव थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – जनपद बिजनौर दिनांक – 27.02.2024

जनपदीय पुलिस द्वारा 09 वारंटी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चल रहे अभियान के क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा 09 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। जिनका विवरण निम्नवत हैः-

क्र0सं0	नाम थाना	गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तगण का नाम व पता
1.	धामपुर	पवन पुत्र धर्मवीर सिंह नि0 ग्राम नसीरपुर बनवारी थाना धामपुर जनपद बिजनौर
2.	धामपुर	धर्मवीर सिंह पुत्र ठकरे नि0 ग्राम नसीरपुर बनवारी थाना धामपुर जनपद बिजनौर
3.	चांदपुर	सुरेन्द्र पुत्र गोपी सैनी नि0 ग्राम बलीपुर गांवड़ी थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
4.	चांदपुर	राम सिंह पुत्र छोटे नि0 स्याऊ थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
5.	शेरकोट	मौ0 इस्माईल पुत्र शब्बीर पुत्र भूरे नि0 मौ0 अचारजान कस्बा व थाना शेकोट बिजनौर
6.	शेरकोट	फैसल पुत्र शकील उर्फ कल्लू नि0 मौ0 तराई कस्बा व थाना शेरकोट जनपद बिजनौर
7.	शेरकोट	वजी खां पुत्र अली खां नि0 मौ0 तराई कस्बा व थाना शेरकोट जनपद जनपद बिजनौर
8.	किरतपुर	सुरजवीर पुत्र मेहक सिंह निवासी मौ0 बुडगरी थाना किरतपुर जनपद बिजनौर
9.	नजीबाबाद	परवेज पुत्र मुख्तार निवासी मौ0 कासियान कस्बा जलालाबाद थाना नजीबाबाद बिजनौर

थाना धामपुर

थाना चांदपुर

थाना शेरकोट

थाना किरतपुर

थाना नजीबाबाद